एम0एम0–69 / 2025

09.05.2026 उभयपक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के समक्षम उपस्थित हुए। विपक्षी नितु देवी अपने पति/आवेदक सोनु कुमार के साथ अपने ससुराल मे रह रही है। आवेदक वचन देते हैं कि वह अपनी पत्नी नितु देवी व पुत्री कृति कुमारी का आजीवन समुचित भरण–पोषण करते रहेंगे तथा पत्नी को ठीक से रखेंगे। उनके बीच सभी विवाद समाप्त हो गया है। उनके बीच सुलह–समझौता हो गया है तथा सुलहनामा भी अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः सुलह–समझौता के आधार पर वाद का निष्पादन किया जाता है।

पीठासीन पदाधिकारी

<u>भरण–पोषण–69 / 2024</u>

<u>13.09.2025</u> आवेदिका खुशबु पाण्डेय राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के समक्ष उपस्थित है। उनका निवेदन है कि उन्होंने अपने पति सुमित कुमार पाण्डेय उर्फ सुमित पाण्डेय के साथ मुकदमा सुलह कर लिया है। उन्हें एकमुश्त भरण–पोषण के रूप मे एक लाख पचहत्तर हजार रूपए प्राप्त हो चुके हैं। शेष पचास हजार रूपए परस्पर सहमति से प्रस्तुत विवाह–विच्छेद के मुकदमे मे गवाही के दिन पति द्वारा भुगतान किए जाने की बात तय हुई है। विपक्षी सुमित कुमार पाण्डेय द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि शेष पचास हजार रूपए का भुगतान परस्पर सहमति से विवाह–विच्छेद वाले मुकदमा मे खुशबु पाण्डेय के गवाही के दिन भुगतान कर देंगे। इसी शर्त के साथ सुलह के आधार पर वर्तमान भरण–पोषण वाद का निष्पादन किया जाता है।

पीठासीन पदाधिकारी